<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०</u>
पीठासीन अधिकारी
काना राम मीणा,
(RJS)
निर्णय दिनांक :– 27.03.2026
आपराधिक प्रकरण सं. 340/2017
सीआईएस नं. 1004/2016
CNR No. RJBR020010752016
एफआईआर सं. 200/2016 पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 323, 325, 504 भा0दं0सं0
PART– I
<u>A</u>

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र हंसराज निवासी खैराली थाना बारां सदर जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेष मेहता

<u>B</u>

अपराध की दिनांक		21.05.2016
एफआईआर की दिनांक		21.05.2016
आरोप पत्र की दिनांक		09.08.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		09.08.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		09.05.2018
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		27.03.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	27.03.2026

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	राजकुमार उर्फ राजू	निल	निल	323, 325, 504 भा0दं0सं0	दोषसिद्ध	पैरा नंबर 25 पर अंकितानुसार	निल

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	रामप्रताप	ताईद चश्मदीद वाका व नक्शा मौका
PW2	बालकिशन	ताईद चश्मदीद वाका व नक्शा मौका
PW3	जीतराम नागर	ताईद एक्सरे करना
PW4	डॉक्टर जगदीश यादव	चिकित्सीय साक्षी
PW5	रामप्रसाद नागर	हालात तफ्तीश
PW6	बाबूलाल	ताईद कायमी मुकदमा दर्ज करना
PW7	सूरजमल	परिवादी

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 09.05.18 PW1, PW7	तहरीरी रिपोर्ट
2	Ex P2 09.05.18 PW1, PW2, PW5, PW7	उनक्शा मौका
3	Ex P3 31.10.23 PW3, PW4	एक्सरे कवर नोट
4	Ex P4 31.10.23 PW3, PW4	एक्सरे प्लेट
5	Ex P5 19.03.24 PW4	चोट प्रतिवेदन
6	Ex P6 19.03.24 PW4	चोट प्रतिवेदन
7	Ex P7 26.02.26 PW6	तहरीरी रिपोर्ट
8	Ex P8 26.02.26 PW6	चाक एफआईआर

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना सदर बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 325, 504 भा0दं0सं0 के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.05.2016 को फरियादी सूरजमल के द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 इस आशय की पेश हुई है कि दिनांक 21.5.2016 को समय करीब 3 बजे वह योगेन्द्र नागर की दुकान पर बैठा हुआ था तभी वहा पर राजू शराब के नशे में आया तथा कहने लगा कि उसके रुपयों पैसों का हिसाब कर। उसने कहा काये के रुपये पैसे है तो राजू गाली गलौच करने लगा तथा कहने लगा की उसके पैसो का तुमने सही तरह से हिसाब नहीं किया में वहा से घर चला गया तथा उसने उसके चाचा रामप्रताप पुत्र गोबरीलाल व उनके लडके बाल किशन को यह बात बताई तो उसके चाचा व उनका लडका उसके साथ हिसाब किताब की बाते करने राजू के पास आये राजू शराब के नशे में गाली गलौच कर रहा था तबी उसके चाचा रामप्रताप ने गाली गलौच करने से मना किया तो वह नही माना। उसके चाचा ने हाथ से राजू के थप्पड मारा तभी राजू ने पास में पडी लकडी की उसके व उसके चाचा के मारी जिससे उसके अंगुलियो में व उसके चाचा के हाथ की कलाई मे लगी तभी वहां से वह व उसका चाचा रिपोर्ट कराने आये है।.....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर बारां पर मुकदमा नं0 200/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 325, 504 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को जुर्म धारा 323, 325, 504 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में मुल्जिम को झूठा व रंजिशवंश फंसाया गया है,

नक्शा मौका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, गवाहों ने घटना की ताईद नहीं की है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.05.2016 को समय करीब 3.30 बजे के लगभग गांव खेराली में महावीर मेघवाल के मकान के सामने खेराली चौराहा पर फरियादी सूरजमल एवं उसके चाचा रामप्रताप के साथ गाली–गलौच करते हुए उनके शरीर पर साधारण चोटें कारित करते हुए रामप्रताप के बांये हाथ में अस्थि भंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 रामप्रताप ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब दो साल पहले की बात है। योगेन्द्र नागर की दुकान खेरली गांव की दुकान के पास सूरजपाल व राजू लडाई झगडा कर रहा था। उसने बीच बचाव कराने आया तो लकडी की मारी थी जो राजू आया था इनमें से किसके मारी थी उसे पता नहीं है। इनके आपस में झगडा पैसो को लेकर हुआ था। फिर वहां से वे थाने में रिपोर्ट करवाने आ गए थे। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसका मेडिकल और एक्सरे भी हुआ था। बाद में पुलिस आई थी नक्शा मौका देखा था बनाया था। पुलिस खेराली के चौराहे पर आई थी। जहां झगडा हुआ था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 01 सूरजमल लिखवाकर लाया और उसने तो अंगूठा किया था। झगडा सूरजमल से शुरू हुआ था। झगडे में किसने मारी उसे पता नहीं है। लकडी की मारी थी। पुलिस बयान में क्या लिखा था उसे पढकर नहीं सुनाया था। प्रदर्श पी 02 में उसने थाने में अंगूठा लगाया था।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 बालकिशन ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब दो साल पहले सूरजमल के साथ राजकुमार ने लडाई झगडा किया था। उनके गांव में दुकान पर ही इनके बीच झगडा हुआ था। झगडा किस बात पर हुआ था उसे ध्यान नहीं है। सूरजमल के हाथ पर चोट आई थी। जो राजकुमार ने मारी थी किससे मारी थी

उसे ध्यान नहीं है। उसके पिताजी रामप्रताप के भी चोट आई थी। पुलिस ने बयान लिए हो तो उसे पता नहीं है। बाद में पुलिस मौके पर आई थी और जहां घटना हुई थी वहीं उसके साईन कराये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि सूरजमल से मारपीट करता हुआ राजकुमार को उसने नहीं देखा।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 जीतराम नागर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 22.05.2016 को राज. चिकि. बारां में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने डॉक्टर जेपी यादव के निर्देशन में रामप्रताप की बांई कलाई का एक्सरे किया था। जिसका एमएलसी नंबर 397 दिनांक 22.5.2016 है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गई।

14. गवाह पी0डब्ल्यू–04 डॉक्टर जगदीश यादव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 22.05.2016 को राजकीय चिकित्सालय बारां में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर तैनात था। उस दिन उसने थाना बारां सदर के प्रतिवेदन पर मजरूब रामप्रताप के शरीर पर आयी हुई चोटों का मेडिकल मुआयना किया। जो निम्न प्रकार है– चोट नंबर 1 खरोंच लगायत सूजन खरोंच की साईज 1 गुणा 1 सेमी तथा सूजन की साइज 10 गुणा 10 सेमी थी जो बायें हाथ की अग्र भुजा में थी। उक्त चोट कुंद हथियार से आयी थी तथा राह सुरक्षा रखते हुए एक्सरे की सलाह दी गयी। बाद एक्सरे चोट नंबर 1 गंभीर प्रकृति की पायी गयी। चोट की अवधि 24 घण्टे के अंदर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ता० है। सी से डी मजरूब का पहचान चिह्न है। ई से एफ बाद एक्सरे उसकी राय है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ता०, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ता० है। उसी दिन उसने सूरजमल पुत्र मथुरालाल के शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल मुआयना किया। उसके शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी। जो निम्न थी– चोट नंबर 1 कुचला हुआ घाव उसकी साईज 1 गुणा 1 गुणा 0.5 सेमी थी जो दायें हाथ के रिंग फिंगर पर आयी हुई थी। चोट नंबर 2 कुचला हुआ घाव 1 गुणा 0.5 गुणा 0.5 सेमी था जो दायें हाथ की छोटी अंगूली पर आयी हुई थी। चोट नंबर 3 खरोंच 4 गुणा 1 सेमी बायें हाथ की अग्रभुजा पर आयी हुई थी। चोट नंबर 4 बायें छूटने पर दर्द होना बता रहा था लेकिन कोई जाहिरा

चोट नजर नहीं आ रही थी। उक्त सभी चोटे कुंद हथियार से आयी हुई थी। चोट नंबर 1 व 2 की राह सुरक्षित रखते हुए एक्सरे की सलाह दी गयी। बाद एक्सरे रिपोर्ट चोट नंबर व 2 साधारण प्रकृति की पायी गयी। चोट नंबर 3 भी साधारण प्रकृति की थी। चोटो की अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ता है। मजरूब का पहचान चिहन है। ई से एफ बाद एक्सरे उसकी राय है।

15. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 05 व प्रदर्श पी 06 का उसने पहचान बाबत् कोई दस्तावेज नहीं लिया था, किंतु इनकी पहचान मेघराज कानि. नंबर 951 ने की थी। मेघराज ने इनकी पहचान मौखिक रूप से की थी। अगर कोई व्यक्ति तेज गति कठोर धरातल अथवा पत्थरों के डेर पर गिर जावे तो प्रदर्श पी 05 व पी 06 की समस्त चोटों के आ जाने से इंकार नहीं किया जा सकता।

16. गवाह पी0डब्ल्यू–05 रामप्रसाद नागर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 05.06.2016 को थाना सदर बारां में हैडकांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन इंचार्ज थाना बाबूलाल एएसआई द्वारा मुकदमा नंबर 200/2016 अंतर्गत धारा 323, 325, 504 आईपीसी का अनुसंधान उसके सुपुर्द किया। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा बयान गवाह रामप्रताप, बालकिशन, सूरजमल के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। घ ाटनास्थल का निरीक्षण कर उसके द्वारा नक्शा मौका बनाया गया। नक्शा मौका प्रदर्शपी 02 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब के एमएलसी एक्सरे शामिल पत्रावली किये गये। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम राजू उर्फ राजकुमार के विरूद्ध धारा 323, 325, 504 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना इंचार्ज के सुपुर्द की।

17. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 01 किसने हस्त लिखे थे उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि उसे शिकायत प्रार्थना पत्र घटना वाले दिन प्राप्त नहीं हुआ था। उसे शिकायत प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज होने पर 15 दिन बाद प्राप्त हुआ था। यह कहना सही है कि उससे पूर्व एसएचओ साहब ने कोई बयान भी नहीं लिये न ही कोई आगे अनुसंधान किया। यह कहना सही है कि जब वह फरियादी पक्ष से मिला उस समय उनके कोई जाहिरा चोट शरीर पर नजर नहीं आ रही थी। यह कहना सही है कि जिस दिन मुकदमा कायम हुआ था उस दिन उसने प्रकरण से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की थी दूसरे दिन की थी।

उस समय घटनास्थल पर कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिले। यह कहना सही है कि जिनके उसके द्वारा बयान लिये गये हैं वह एक ही परिवार के हैं। यह कहना सही है कि उसके द्वारा अन्य स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये गये। यह कहना सही है कि फरियादी पक्ष द्वारा उसे डॉक्टरी इलाज व चोटों बाबत कोई डॉक्टर का ईलाज का पर्चा नहीं दिया। फरियादी व मुलजिम पक्ष के किस बात का झगडा हुआ था या कहासुनी हुई थी ऐसा कोई अनुसंधान में नहीं आया। उसके द्वारा मुलजिम का शराब का मुआयना नहीं करवाया गया है। उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हथियार जब्त नहीं किया गया है। फरियादी पक्ष शराब पीने का आदी हो ऐसा उसके अनुसंधान में नही आया।

18. गवाह पी0डब्ल्यू–06 बाबूलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 05.06.2016 को पुलिस थाना बारां सदर में एसआई के पद पर तैनात था। उस दिन आईसी थाना भी था। उस दिन कानि0 सियाराम द्वारा एक तहरीर रिपोर्ट मय जांच, एमएलसी एक्स रे मुकदमा दर्ज करने हेतु उसके समक्ष पेश किया। जिस पर उसके द्वारा मुकदमा नं 200/2016 अंतर्गत धारा 323, 325, 504 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान रामप्रसाद हैड कानि0 को सुपुर्द किया। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श–पी 07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित है। जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श–पी 08 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

19. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि प्रकरण में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया।

20. गवाह पी0डब्ल्यू–07 सूरजमल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 10 साल पहले दिन के 3–4 बजे की बात है। वह चौराहे पर योगेंद्र नागर की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर राजू शराब के नशे में आया और उससे कहा कि उसके पैसों का हिसाब–किताब कर और उसके पैसे दे। इसी बात पर गाली–गलौच करने लग गया। वह घर चला गया। घर से उसके चाचा रामप्रताप और बालकिशन को लेकर दुबारा योगेंद्र की दुकान पर आया। जैसे ही वे पहुंचे तो राजू ने उसके हाथ में लकडी से उसके हाथ की अंगुलियों में मारी। उसके चाचा रामप्रताप बीच–बचाव कराने लगे तो उसके भी कलाई में मारी, जिससे उसका हाथ टूट गया। फिर वह और उसके चाचा दोनों पुलिस थाना बारां में रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श–पी 01 है। जिस पर वाई स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस वालों ने उनका मेडिकल मुअयना कराया था एवं घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श–पी 02 है जिस पर भी वाई स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

21. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श–पी 01 किसने लिखी थी उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श–पी 01 उसे पढकर नहीं सुनाई। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस घटनास्थल पर कितने दिन बाद आई थी उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श–पी 02 की इबारत भी उसे पढकर नहीं सुनाई। प्रदर्श–पी 02 पर उसकी अंगूठा निशानी थाने पर लगवाई थी। उनके मध्य पैसों की लेनदेन को लेकर कहासुनी हुई थी। यह कहना सही है कि उसके व राजकुमार के मध्य वर्तमान में कोई विवाद शेष नहीं है।

22. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि प्रकरण में परिवादी सूरजमल के द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 इस आशय की दर्ज करवाई है कि दिनांक 21.05.2016 को शाम के 03.30 पीएम के आस–पास योगेन्द्र नागर की दुकान पर जब वह बैठा हुआ था तभी मुल्जिम शराब के नशे में आया और पैसों का हिसाब करने को कहा जिस पर घर से रामप्रताप व उसका लडका बालकिशन को लेकर आया तो हिसाब–किताब की बात करने लगा तो राजू द्वारा रामप्रताप के मारने व लकडी से उसके व उसके चाचा रामप्रताप के मारने जिससे उसकी अंगुलियों में व चाचा रामप्रताप के हाथ की कलाई में लगने के बाबत् रिपोर्ट पेश की है जिस पर सियाराम कांस्टेबल द्वारा जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 पेश किया जाना प्रकट होता है जिसके अवलोकन से सियाराम के द्वारा मुल्जिम के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानने के आधार पर उक्त प्रकरण में कार्यवाही किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है तथा उक्त जांच रिपोर्ट को गवाह पी. डब्ल्यू–06 बाबूलाल द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया जाना प्रकट होता है तथा प्रकरण में परिवादी सूरजमल पी.डब्ल्यू–07 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने बयानों में मुल्जिम के द्वारा शराब के नशे में गाली–गलौच करते हुए उसके व उसके चाचा रामप्रताप के साथ लकडी से मारपीट करने व उसके चाचा रामप्रताप की कलाई में मारने जिससे हाथ टूट जाने व उसके भी अंगुली में चोटें आने एवं तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर वाई स्थान पर अंगूठा निशानी होने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इसी प्रकार अन्य आहत रामप्रताप पी.डब्ल्यू–01 के रूप में परीक्षित होते हुए मुल्जिम के द्वारा उसके व सूरजमल के साथ मारपीट करने व रिपोर्ट पर उसका अंगूठा निशानी होने व नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर एक्स स्थान पर अंगूठा निशानी होने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में बालकिशन पी.डब्ल्यू–02 के रूप में परीक्षित होते हुए मुल्जिम के द्वारा सूरजमल व रामप्रताप के साथ मारपीट कर चोटें कारित

करने व नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर ए से बी हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह के द्वारा घटना व नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 की ताईद अपने बयानों में किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार गवाह रामप्रताप के द्वारा अपने बयानों में लकडी से मुल्जिम के द्वारा उसके मारने व मारपीट कर चोटें कारित करने के बाबत् साक्ष्य दिया जाना प्रकट होता है जिसकी ताईद गवाह बालकिशन व सूरजमल के द्वारा अपने–अपने बयानों में किया जाना प्रकट होता है तथा उक्त गवाहान की साक्ष्य का खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–04 डॉक्टर जगदीश प्रसाद यादव के द्वारा दिनांक 22.05.2016 को मजरूब रामप्रताप की चोटों का मेडिकल परीक्षण कर चोट नंबर 01 बांए हाथ की अग्र भुजा में आने जो गंभीर प्रकृति की होने, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 05, कवर नोट प्रदर्श पी 03, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 04 पर उसके हस्ताक्षर होने व उसी दिन आहत सूरजमल की चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 06 तैयार करने जिसमें कुल 04 चोटें आने, सभी चोटें साधारण प्रकृति की होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा रामप्रताप की चोटों का एक्सरे करने वाला गवाह डॉक्टर जीतराम नागर पी.डब्ल्यू–03 के रूप में परीक्षित होते हुए एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 03, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 04 पर हस्ताक्षर होने व उसके द्वारा एक्सरे करने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार गवाह जगदीश यादव व जीतराम नागर के बयानों से मजरूब सूरजमल व रामप्रताप की चोटों की ताईद पूर्ण रूप से होना प्रकट होती है जिस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 06 पत्रावली पर पेश होना प्रकट होते हैं तथा गवाह पी.डब्ल्यू–06 बाबूलाल के द्वारा जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 08 के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने व अनुसंधान हेतु रामप्रसाद को सुपुर्द करने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–05 रामप्रसाद नागर जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के रूप में परीक्षित हुआ है उक्त गवाह के द्वारा अपने बयानों में गवाहों के बयान लेते हुए नक्शा मौका मुर्तिब कर समग्र अनुसंधान के आधार पर मुल्जिम के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार परिवादी सूरजमल, अन्य आहत रामप्रताप व बालकिशन के बयानों से घटना व रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 व जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 की ताईद पूर्ण रूप से होना प्रकट होती है तथा चोटों के संबंध में चोट प्रतिवेदन, एक्सरे कवर नोट व प्लेट गवाह जगदीश यादव व जीतराम नागर के द्वारा अपने–अपने बयानों में प्रदर्श पी 03 लगायत प्रदर्श पी 06 के रूप में प्रदर्शित कर पेश किया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में कोई भी खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर

नहीं किया जाना प्रकट होता है एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 गवाहान की साक्ष्य से प्रमाणित होना प्रकट होता है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के आधार पर मुल्जिम के द्वारा कुंद हथियार से मारपीट कर परिवादी सूरजमल के शरीर पर व आहत रामप्रताप के बांये हाथ की अग्र भुजा में गंभीर चोट कारित करते हुए अस्थिभंग कर गाली–गलौच करते हुए उक्त घटना कारित किया जाना पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा 323, 325, 504 भा0दं0सं0 में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

23. अतः अभियुक्त **राजकुमार उर्फ राजू** पुत्र हंसराज निवासी खैराली थाना बारां सदर जिला बारां राज. को आरोपित अंतर्गत धारा 323, 325, 504 भा0दं0सं0 के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत् पूर्व जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

<u>सजा के बिन्दु पर सुनवायी :–</u>

24. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है। इसका विरोध करते हुए विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

25. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त प्रकरण में वर्ष 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहा है और अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर कोई पूर्व दोषसिद्धि बाबत् रिकॉर्ड भी नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित् प्रतीत होता है।

–:: दण्डादेश ::–

26. अतः अभियुक्त **राजकुमार उर्फ राजू** पुत्र हंसराज निवासी खैराली थाना बारां सदर जिला बारां राज. को आरोपित अंतर्गत धारा 323, 325, 504 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। जिसके लिए अभियुक्त को तुरन्त कारावास की सजा से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/– रूपये की राशि की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इन शर्तों का पेश कर तस्दीक करा दे कि वे इस अवधि में शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेंगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्डादेश पाएगा, तब उसे परिवीक्षा पर छोडा जावे। साथ ही अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 3000/– रुपये (अक्षरे कुल तीन हजार रूपये) अभियोजन व्यय स्वरूप अधिरोपित किये जाते हैं। उक्त राशि में से 2000 रूपये आहत रामप्रताप को व 800 रूपए सूरजमल को बाद गुजरने मियाद अपील बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जावे। शेष राशि 200/– जमा राजकोष रहे तथा अभियुक्त द्वारा प्रथम बार परिवीक्षा का लाभ लेने बाबत् शपथ–पत्र भी पेश किया जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

27. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY